राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआर / डीएलबी / विविध / 2021 / 1342-1554 दिनांक : 15/06/22

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– समाचार पत्र की कटिंग पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने बाबत्।
प्रसंगः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1221 दिनांक 25.10.2021, पत्रांक 4635–4850 दिनांक 22.03.2022 एवं पत्रांक 264–476 दिनांक 26.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र एवं पत्रों में उल्लेख किया गया था कि राज्य की नगरीय निकायों में सम्पादित होने वाले कार्यो के संबंध में समय–समय पर समाचार–पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रहती है। इन समाचारों पर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को तत्काल टिप्पणी भिजवाया जाना आवश्यक होता है। इस विभाग की जनसम्पर्क शाखा द्वारा संबंधित निकाय से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी को उसी दिन ई–मेल एवं वाट्सऐप के माध्यम से भिजवाकर यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर अपनी सारगर्भित टिप्पणी तत्काल उसी दिन ई–मेल के माध्यम से भिजवाये।

किन्तु खेद है कि नगरीय निकायों के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी को दूरभाष पर बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी समाचार पत्र की कटिंग पर अपनी टिप्पणी तत्काल नहीं भिजवायी जाती है, जिसके कारण विभागीय टिप्पणी मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भिजवाना संभव नहीं हो पाता है। इससे न केवल विभाग की अपितु राज्य सरकार की भी छवि खराब होती है। इस स्थिति को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा काफी गम्भीरता से लिया जा रहा है।

नगरीय निकायों द्वारा समय पर वांछित सूचना नहीं भिजवाना निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी की गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय कार्यो के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क) की ई–मेल आई. डी. jdpr.lsg@gmail.com पर उसी दिन आवश्यक रूप से भिजवायें।

यदि भविष्य में उपरोक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल भिजवाने में विलम्ब किया जाता है, तो संबंधित निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी के विरूद्व तुरन्त ही **अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है,** जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:पीआर / डीएलबी / विविध / 2021 / 1555-1564 दिनांक : 15/06/22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से आपके संभाग की निकायों को उसी दिन सूचना उक्त ई–मेल आई.डी. पर आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित करावें।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)